सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 92/16 **निर्णय दिनांक 26.03.2018**

1. नत्थूराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 21.02.2000
सहायक उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर

उपस्थितः—
1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ के आदेश दिनांक 21—02—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलंट ने प्रार्थना विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि तत्कालीन आवंटन अधिकारी के समक्ष भूमिहीन के तहत आवंटन

पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय व आवंटन सलाहाकार समीति ने अपीलांट की पात्रता जांचने के पश्चात कृषि भूमि आवंटन का पात्र माना व आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर भूमि आवंटन किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 72/22 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीधा भूमि का आवंटन कर आवंटन पटटा भी जारी कर दिया। जिसे अपीलांट को बिना किसी प्रकार की सूचना व नोटिस दिये निरस्त कर दिया। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। अपीलांट एक गरीब खेतीहर मजदूर है।

जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक 29–12–1999 को राशि 29272/– किश्त मय ब्याज के जमा करवाये गये है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे अन्यथा अन्यत्र भूमि आवंटन की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 317 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2000 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपील दिनांक 12–06–2017 को पेश की गयी है। अपील में मियांद कन्डोन करने के लिए सन्तोषप्रद कारण अंकित नहीं किये गये है। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को विवादित भूमि का आवंटन

हुआ है किन्तु उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी ना ही कब्जा प्राप्त किया गया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्त किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–02–2000 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपील दिनांक 12–06–2017 को पेश की गयी। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके खण्डन में राज्य पक्ष ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

प्रस्तुत मामलें में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को चक 5 एन.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 72/22 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीधा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। किन्तु अपीलांट ने आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लिया। जिसके कारण अपीलांट का आवंटन सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 21–02–2000 के द्वारा आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है का नोट स्थाई आवंटन विवरण में अंकित किया हुआ है। अपीलांट का कथन है "कि अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस जारी किये एकतरफा तौर पर आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया है।" अपीलाधीन आदेश की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज हुआ है या नहीं। इसकी तस्दीक नहीं हुई है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् दिनांक 29–12–199 को 29272/– रूपये मय ब्याज जमा करवाई गई राशि की रसीद प्रस्तुत की गई। जिससे साबित है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक प्रकरण में वादगत् भूमि के बाबत् अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नकल प्रस्तुत किया जाने का प्रश्न है इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील

के साथ डिस्पेंसविद् का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस बाबत् आरआरडी 1994 पेज 316 की नजीर प्रस्तुत की गई है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:– Rajasthan Revenue Court Manual part II Rule 30 - Concerned file not traceable -Appellate court should have decided appeal on merits rather than rejecting it on the technical gound of non-submission of copy of impugned order.

चूंकि पत्रावली में अंकित रेकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को भूमि आवंटन के योग्य माना जाकर भूमि आवंटन की गई है तथा आवंटन पश्चात् अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है।

7. अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ का आदेश दिनांक 21–02–2000 निरस्त किया जाता है, एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को आवंटित भूमि अगर खारिज की गई है तथा अन्य को आवंटित नही की गई हो तो नियमानुसार आवंटन बहाल किया जावे तथा अगर किसी अन्य को आवंटित कर दी गई है तो अपीलांट को समान किस्म की अनकमाण्ड भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर